यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

आसीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

संख्याः– 134/प्रा0पत्र/2015

1. हेमलाल आयु 60 वर्ष आ0 हरलाल जाति मीणा निवासीगण फालेण्डा तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी (राज0)।
2. शोजीलाल आयु 55 वर्ष आ0 हरलाल जाति मीणा निवासीगण फालेण्डा तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
3. रामदेव आयु 45 वर्ष आ0 हरलाल जाति मीणा निवासीगण फालेण्डा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. केसरीलाल पिता रंगलाल जाति मीणा (फोत)
   1/1 शिवराज आ0 केसरीलाल जाति मीणा
   1/2 राजेन्द्र आ0 केसरीलाल जाति मीणा
   1/3 काली बाई बैवा केसरीलाल जाति मीणा
   1/4 कमला बाई पुत्री केसरीलाल जाति मीणा निवासीगण फालेण्डा, तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी राजस्थान।
2. रामप्रसाद आयु 45 वर्ष पिता रंगलाल जाति मीणा निवासी टोला तहसील जहाजपुर हाल निवासी फालेण्डा तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 251 (क) आर0टी0एक्ट

प्रार्थीगण अभिभाषक –श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थीगण अभिभाषक – कैलाशचंद नामधराणी

निर्णय दिनांक :– 29/10/2020

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 824/36 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम फालेण्डा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण निरन्तर शान्तिपूर्वक काबिज कास्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि में अभी तिल की फसल बोई थी जो अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गई है एवं उक्त फसल को हांक कर सरसों की फसल बोने हेतु भूमि को सावणा लगा रखा है। ग्राम फालेण्डा से

जाने वाली ग्रेवल सडक में से पूर्वी दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 31 सिवायचक) तक 12 फीट चौडा रास्ता मौके पर बना हुआ है जिसके प्रार्थी कोई अनुतोष ही चाहता है। और उक्त सिवायचक भूमि खसरा संख्या 31 के बाद अप्रार्थी 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 33 स्थित है। प्रार्थीगण सिवायचक भूमि खसरा संख्या 31 की दक्षिण मेड के सहारे होकर अप्रार्थी 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 33 की दक्षिण मेड के सहारे व पूर्वी साईड की मेड के सहारें दक्षिण से उत्तर की ओर प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता बना हुआ है लेकिन उक्त रास्ता कही कम और कही ज्यादा चौडा है। खसरा संख्या 31 व खसरा सख्या 33 में बने हुये प्रार्थी के उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण अपने दादा हरलाल के जीवनकाल से करते आ रहे है। लेकिन खसरा संख्या 33 में स्थित प्रार्थीगण का रास्ता रिकोर्ड में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर देते है व रास्ते में फसल बो देते है जिससे प्रार्थीगण की आवाजाही में व्यवधान पैदा हो जाता है। इसलिए प्रार्थी खसरा संख्या 31 व 33 में अपने रास्ते को रिकोर्ड में दर्ज करवाना चाहता है एवं उक्त खसरा नम्बर में स्थित रास्ते की राजस्व नक्शे में तरमीम करवाना चाहते है। खसरा संख्या 31 व 33 में प्रार्थीगण का उक्त रास्ता बरसों पुराना बना हुआ है जिससे प्रार्थीगण वं प्रार्थीगण के पूर्वज अपनी उक्त भूमि पर इसी रास्ते में आते जाते है एवं कृषि उपकरण, हल–कुली, बेलगाडी, टेक्टर ट्रॉली लाते ले जाते रहे है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर आने जाने हेतु यही एक मात्र रास्ता है। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। खसरा संख्या 31 व 33 में बने हुये रास्ते व प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता जिसका नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड में अंकित नही है लेकिन रास्ता मौके पर मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 33 में होकर प्रार्थी की भूमि तक आने का रास्ता बना हुआ है लेकिन अप्रार्थीगण साधन सम्पन्न व ताकतवर व्यक्ति है जिन्होने खसरा सख्या 33 में बने हुये रास्ते के स्वरूप को कुछ समय पहले नष्ट कर दिया है लेकिन खसरा संख्या 31 में व खसरा संख्या 33 की सीमा तक अभी भी रास्ता बना हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 33 में बने हुये रास्ते के स्वरूप को नष्ट कर देने से प्रार्थीगण की अपनी भूमि पर आने जाने में बडी दिक्कत आती है। लेकिन प्रार्थीगण अपनी भूमि पर इसी रास्ते से खसरा संख्या 33 में होकर ही अपनी भूमि पर आते जाते है। प्रार्थीगण की भूमि के उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वज वर्षो से करते आ रहे है खसरा संख्या 33 भी पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम ही थी और प्रार्थी के दादा हरलाल ने ही उक्त भूमि अप्रार्थीगण को बेची थी। पूर्व में कभी भी अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर बने रास्ते में अवरोध नही किया था। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता खसरा संख्या 31 व 33 के रिकोर्ड में दर्ज नही होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने कुछ समय से प्रार्थीगण के उक्त रास्ते में दखल अंदाजी शुरू कर दी है एवं आये दिन मारपीट व झगडा करने के लिए उतारू होते है। अप्रार्थीगण ने एक राय होकर जुलाई के अंतिम सप्ताह में खसरा संख्या 33 में बने प्रार्थीगण के रास्ते को हांक कर खेत में मिला लिया व खसरा संख्या 33 में उडद व सोयाबीन की फसल बो दी। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य का विरोध किया तो

ट करने पर आमादा हो गये। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से उनके खाते की भूमि खसरा या 33 में बने हुये रास्ते की भूमि का पैसा लेकर रास्ते वाली भूमि खाते में से कम रवाकर रास्ते के रूप में दर्ज करवाने का अनुरोध किया जिसकों भी अप्रार्थीगण ने दिनांक 0.07.2014 को ठुकर दिया है अर्थात इंकार हो गयें एवं दिनांक 30.07.2014 को ही अप्रार्थी 1 व 2 ने धमकी दी कि आज दिन तक आप हमारी भूमि में बने रास्ते में होकर आपकी भूमि पर आते जाते थे, लेकिन अब हमनें रास्ता खेत में मिला लिया है। अब हम तुम्हे हमारी भूमि में होकर तुम्हारी जमीन पर नही जाने देगे और हमारी भूमि में होकर निकलने की कोशिश की तो जान से मार देगे। यही वाद उत्पति कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 31 की दक्षिण मेड के सहारे होकर खसरा संख्या 33 की दक्षिण मेड के सहारे होते हुये पूर्वी मेड के सहारे दक्षिण से उत्तरी दिशा में प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु 12 फीट चौडा रास्ता घोषित करवावे एवं खसरा संख्या 33 में से रास्ते की भूमि का रकबा खातेदार अप्रार्थी की भूमि में से कम करवावे एवं रास्ते की भूमि का राजस्व रिकोर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करवावें एवं रास्ते में अवरोध पैदा नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पांबंद करवावे। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को खसरा संख्या 33 में से रास्ते दर्ज की जाने वाली भूमि का मुआवजा निम्नानुसार आधा करने को तत्पर है जिससे अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान नही होगा। प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 31 सिवायचक में रास्ते की घोषणा चाहने से वे सिवायचक भूमि का स्वामी राजस्थान सरकार होने से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार साहब हिण्डोली को अप्रार्थी संख्या 3 बनाया गया है एवं खसरा संख्या 33 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है एवं श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्राम फालेण्डा की भूमि खसरा संख्या 31 की दक्षिण मेड के सहारे होकर खसरा संख्या 33 की दक्षिण मेड के सहारे होते हुये पूर्वी मेंड के सहारे दक्षिण से उत्तरी दिशा में प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु 12 फीट चौडा रास्ता घोषित किया जावें एवं खसरा संख्या 33 में से रास्ते की भूमि का रकबा खातेदार अप्रार्थी की भूमि में से कम किया जाकर रास्ते की भूमि को राजस्व रिकोर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें एवं खसरा संख्या 31 व 33 में रास्ते की तरमीम की जावें। रास्ते में घोषित की जाने वाली भूमि अप्रार्थीगण खाते में से कम की जावें साथ ही रास्ते में अवरोध पैदा नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र पूर्व में 129/प्रार्थना पत्र/2014 बउनवान हेमलाल बनाम केसरीलाल दर्ज रजिस्टर था जिसका दिनांक 21.05.2015 को न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है। उक्त निर्णय के विरूद्व अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में कर दिये जाने से राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील संख्या 15/167 बउनवान केसरीलाल बनाम हेमलाल में दिनांक 27.08.2015 को अपील स्वीकार कर इस न्यायालय का आदेश दिनांक 21.05.2015 को निरस्त कर प्रकरण इस आदेश के साथ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई व जवाब का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। पत्रावली बाद अपील निर्णय के प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर सुनवाई हेतु नियत की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 केसरीलाल व

र्थी संख्या 2 रामप्रसाद प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का पूर्व में ही निम्न जवाब पेश कर थन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि ग्राम फालेण्डा में भी स्थित होना स्वीकार है। खातेदारी की जानकारी नही होने से शेष चरण स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित भूमि पर प्रार्थीगण का खेती करना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में खसरा संख्या 31 के बाद खसरा संख्या 33 भी स्थित होना स्वीकार है, शेष तथ्य स्वीकार नही है। ग्राम फालेण्डा से टोला जाने वाली ग्रेवल सडक खसरा संख्या 31 से करीब 400 फीट दूर खसरा संख्या 16 की पश्चिम की ओर बनी हुई हैं। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 33 से पहले खसरा संख्या 33 व उक्त ग्रेवल सडक के मध्य खसरा संख्या 31 व 16 भी स्थित है। खसरा संख्या 31 पर करीब 40 वर्षो से भी अधिक समय से अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं खसरा संख्या 16 पर भी अंन्य व्यक्तियों ने कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमियों के चारो ओर करीब साढे तीन चार फुट उंचा पत्थरों कोट लगा हुआ है। खसरा संख्या 31 व 33 की दक्षिण व पूर्वी मेड के सहारे कोई रास्ता बना हुआ नही है ओर न ही कभी उक्त भूमियों पर से प्रार्थीगण ने अपने खेतों में आने जाने के लिए कभी किसी रास्ते का प्रयोग किया है। जिन भूमियों के सहारे प्रार्थीगण रास्ता क्लेम कर रहे है उस मेर पर तो अप्रार्थीगण का पक्का कोट वर्षो से बना हुआ है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता प्राप्त करने अथवा नक्शे में तरमीम कराने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 स्वीकार नही है। पिछले 40 वर्षो से विवादित जगह पर कोई रास्ता नही है जिस भूमि पर जाने के लिये प्रार्थीगण रास्ता क्लेम कर रहे वह भूमि तो प्रार्थीगण को अभी करीब 15 वर्ष पूर्व ही आंवटित हुई है। उक्त भूमि आंवटित होने के समय से प्रार्थीगण आम सडक देवजी का थाना से शक्करगढ जाने वाली सडक से जिसका खसरा संख्या 215 है पर होते हुये खसरा संख्या 74, 73, 70 से होते हुये अपनी भूमि खसरा संख्या 824/36 पर आते जाते रहे है। अभी भी प्रार्थीगण उसी रास्ते का अपने उक्त खेत पर आने जाने के लिये उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ता अपने खेतो पर आने जाने के लिए उपलब्ध है। इस कारण प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 जिस प्रकार अंकित की गई है स्वीकार नही है। विवादित स्थल पर पिछले 40 वर्षो से कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेतों पर जाने का नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 स्वीकार नही है। खसरा संख्या 16, 31, 33 की दक्षिण व पश्चिमी मेड पर पिछले 40 वर्षो से कोई रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 जिस प्रकार अंकित की गई है स्वीकार नही है। अप्रार्थीगण के पूर्वज ने जिस समय यह भूमि खरीद की थी तब तो प्रार्थीगण खसरा संख्या 824/36 के स्वामी ही नही थे बल्कि उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज थी। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 स्वीकार नही हैं प्रार्थीगण ताकत व पेसौ के बल पर अप्रार्थीगण की भूमि में जबरन रास्ता निकालना चाहते है। प्रार्थीगण के पास अन्य रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद वे अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता बनाना चाहते है ताकि अप्रार्थीगण की भूमियां असुरक्षित हो जावें। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमियों में कोई रास्ता बनाने का अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पास अपने खेत पर जाने का अन्य रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 क

टी0एक्ट0 के तहत पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 स्वीकार नही यदि अप्रार्थीगण के खेतों में रास्ता दे दिया गया तो अप्रार्थीगण के खेत जिनके चारों ओर कोट लगा हुआ है असुरक्षित हो जावेगें एवं आये दिन जानवर उनकी फसलो को नुकसान करेगें जिससे अप्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी किसी भी प्रकार से हर्जे में पूर्ति नही की जा सकेगी। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 12 में खसरा संख्या 31 सिवायचक भूमि होना स्वीकार है किन्तु खसरा संख्या 31 पर पिछले 40 वर्षो से भी अधिक समय से अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 12 स्वीकार नही है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर धारा 251 क राज0टी0एक्ट0 के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य शोजीलाल मीणा ग्राम टोला PW-1 date 06.01.2016, रतिराम मीणा ग्राम फालेण्डा PW-2 date 24.02.2016, खेमराज मीणा ग्राम फालेण्डा PW-3 date 24.02.2016 पेश किये। अप्रार्थी द्वारा अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र रामप्रसाद मीणा निवासी फालेण्डा DW-1 महादेव बलाई ग्राम फालेण्डा DW-2, फोरूलाल मीणा निवासी फालेण्डा DW-3 date 17-07-2019 प्रस्तुत किये है।

वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी केसरीलाल की मृत्यु हो जाने से उसकी कायम मुकाम बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 का पेश किया जिस पर वकील अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही होने पर स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम व रिकोर्ड कर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 (कायम मुकाम अप्रार्थी संख्या 1– केसरीलाल) की ओर से एडवोकेट कैलाशचंद नामधराणी ने वकालत नामा प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से पढा जाने का निवेदन किये। तदुपंरात पत्रावली शेष साक्ष्य/जिरह में नियत की गई। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर जिरह वकील पक्षकारान द्वारा दर्ज करवाई गई।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 एवं नियम 69 राज0टी0एक्ट0 गर्वमेन्ट रूल्स 1955 बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने का अप्रार्थी की ओर से पेश किया जिस पर जवाब प्रार्थी प्राप्त किया जाकर बहस सुनी गई, बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को दोनो पक्षों की उपस्थिति में प्रस्तावित रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में दिनांक 19.11.2019 को मौका निरीक्षण कर पत्र कमांक :– राजस्व/19/1719 दिनांक 25.11.2019 से रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने हेतु वकील पक्षकारान को अवसर दिया जाकर पत्रावली कोई आपत्ति पेश नही करने पर बहस हेतु नियत की गई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि खसरा संख्या 824/36 रकबा 6 बीघा ग्राम फालेण्डा जो कि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है पर आने जाने हेतु पुराना रास्ता जो ग्राम फालेण्डा से टोला जाने वाले रास्ते की भूमि खसरा संख्या 31 से होते हुये खसरा संख्या 33 में बना हुआ है। मैने जो रास्ता चाहा है उसका प्रस्तावित नजरी नक्शा पेश किया है। खसरा संख्या 33 हमने

गण को बेची है, बेचान के बाद खसरा संख्या 824/36 हमें आंवटन हुआ है जो न में हमारे खाते दर्ज है। हमारे खाते की उक्त जमीन पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता जूद नही है। यह सबसे निकटम व सुविधाजनक रास्ता है।

वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों के खंण्डन में करते हुये कथन किया कि धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 में प्रावधान सुविधा के लिये नही है। धारा 251 का मूल उदेश्य यह था कि जमीन पर जाने का रास्ता नही है तो उसे वहां जाने का रास्ता दिया जा सकता है। इन्होने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अंकन किया है कि प्रार्थी के पूर्वज इसी भूमि पर आते जाते रहे है जबकि हमने अपने जवाब में कथन किया कि यह भूमि अभी केवल 15 वर्ष पहले ही प्रार्थीगण को आंवटन हुई है। आंवटित जमीन पर खसरा संख्या 215 जो कि सडक है, से वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है। रास्ता आवश्यकता जनित है न कि सुविधाजनित है। वन विभाग से सडक निकली हुई है उसकों कोई नही रोक सकता है। उसी रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण कर रहे है। खसरा नम्बर 16 वन विभाग की सम्पत्ति है।

वकील अप्रार्थी के उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि पूर्व में ही रास्ता घोषित किया जा चुका है परन्तु मौका रिपोर्ट के दौरान अप्रार्थी उपस्थित नही होने के कारण इन्होने उसे अपील का आधार बनाकर अपील पेश की थी। मेरे प्रार्थना पत्र का इन्होने जवाब दिया है जिसके चरण संख्या 4 में इन्होने कोई कब्जा नही होना व भूमि 15 वर्ष पूर्व आंवटन होना व थाना से शक्करगढ जाने वाली सडक के खसरा संख्या 215 से होते हुये खसरा नम्बर 73, 74, 70 में से इनकी भूमि पर आते–जाते रहना व अभी भी आ–जा रहे है कथन किया है एवं वर्तमान में आई रिपोर्ट में भी खसरा संख्या 71 व 72 से जाना पडेगा जो कि वन विभाग के खाते दर्ज है। खसरा संख्या 71 व 72 से किस तरह रास्ता जायेगा यह इस रिपोर्ट में अंकित नही है। गवाह शोजीलाल ने जिरह में कथन किया कि पूर्व में जमीन पर रास्ता जा रहा था जिसे अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में बंद कर दिया है। गवाह खेमराज ने जिरह में रास्ता बंद करना। गवाह महादेवा ने भी जिरह में पूर्व में रास्ता चालू होना व वर्तमान में बंद होना बताया है। गवाह रामप्रसाद ने जिरह में वर्तमान में चालू रास्ता होना वन विभाग की भूमि का बताया है।

वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि गवाह शोजीलाल PW-1 ने जिरह में कथन किया कि वह आंवटित खेत पर शक्करगढ जाने वाली सडक के सहारे न जाकर रतिराम वगेरह, देवा, नारायण, भोजा आ0 बरधा के खेतों की मेरों पर होकर आते–जाते थें। हम दूसरों की जमीनों पर होकर ही हमारे खेतो पर आते–जाते थे, जिन लोगों की मेरों पर हम आते जाते थे उनको मैने इस प्रार्थना पत्र में पार्टी नही बनाया है। गवाह रतिराम मीणा PW-2 ने जिरह में कथन किया कि अप्रार्थी केशरी लाल वगेरह की भूमि पर 3–3 फीट कोट लगा हुआ है जो कि हरलाल ने भूमि बेचान के समय ही लगाया हुआ है व यह भूमि लगभग 40–50 साल पहले बेंचान की हुई है। हेमलाल व केशरीलाल की जमीन के बीच में कोट लगा हुआ है जो कि हरलाल ने ही लगाया था। खसरा नम्बर 60 व 50 किसका है यह प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है, न ही इन खसरा नम्बरों के खातेदार को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार भी नही बनाया गया है। रास्ता सुगम व निकटवर्ती का प्रश्न नही है। उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावें।

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर लब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार ण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार ण्डोली के प्रार्थी वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 60, 74, 72, 71 में होकर अपने खाते की भूमि पर जाता है। मुताबिक रिपोर्ट के उक्त खसरा नम्बर 63, 74 सिवायचक व खसरा नम्बर 72, 71 वन विभाग के खाते दर्ज है। प्रार्थी वर्तमान में मौके पर गांव के पास के खसरा नम्बर 63 व 74 पर स्थित पक्के रोड पर चलकर खसरा नम्बर 71 व 72 वन विभाग की भूमि पर होकर अपने खाते की भूमि पर जाता है। मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नम्बर 71 व 72 में पक्के रोड से ग्रेवल रोड बना रखा है जो प्रार्थी के खाते की भूमि के समीप होते हुये ग्राम फतेहगढ की ओर जाता है। प्रार्थी वर्तमान में जिस रस्ते से जाता है उसकी दूरी गांव से लगभग 3762 फीट है व जहां से प्रार्थी नया रस्ता चाहता है उसकी दूरी 2329 फीट है। उक्त रास्ता सुगम व निकटवर्ती है। यह रास्ता खसरा संख्या 60, 50, 31 सिवायचक व खसरा नम्बर 16 वन विभाग व खसरा संख्या 33 शिवराज, राजेन्द्र पि0 केशरलाल हिस्सा 1/2, रामप्रसाद पि0 रंगलाल हिस्सा 1/2 कोम मीणा के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र में उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों पर विवेचन के उपरान्त नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त की दृष्टि से मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा भी उक्त रास्ते का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वर्तमान में प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 63, 74, 72, 71 में होकर पक्का व ग्रेवल रोड बना हुआ है जिस पर होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर आ–जा रहे है जिससे की प्रार्थीगण को नवीन रास्ता घोषित करवाने की कोई उचित आवश्यकता प्रतीत होती है। केवल सुगमता की दृष्टि से नवीन रास्ता घोषित कर अन्य खातेदारों की भूमि का स्वरूप नष्ट करना, न्यायालय उचित नही समझता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत करना व अपने प्रार्थना पत्र को प्रार्थी द्वारा संदेह से परे साबित नही किया गया है जिससे कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पोषणीय नही होने/संदेह से परे साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली